तिथि पेशी
23.10.2024

प्रेषक

उपायुक्त, रोहतक।

सेवा में

National Green Tribunal,
J69J+F7X, Faridkot House, Copernicus Marg,
Near India Gate, New Delhi-110001

क्रमांक 2885 /एस0के0 दिनांक 21-10-2024

विषयः— Complliance of NGT order dated 03-09-2024 regarding in OA No. 666/2023 titled as Rakesh Bhardwaj Vs State of Haryana.

यादि

उपरोक्त विषय पर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2024 के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में आपकी सेवा में सादर अवगत करवाया जाता है कि आदेशों की अनुपालना में उपमण्डल अधिकारी (ना0), महम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच पडताल उपरान्त रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट अनुसार वर्णित है कि जांच अधिकारी द्वारा वादी व राजस्व रिकार्ड मौजा महम मुतनाजा भूमि के मालकान और उपायुक्त कार्यालय की सदर शाखा में तैनात कर्मचारी को मय रिकार्ड दिनांक 11.10.2024 को जारी नोटिस द्वारा दिनांक 15.10.2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर होने बारे लिखा गया था। जिसमें वादी राकेश भारद्वाज निवासी महम व राजस्व रिकार्ड मौजा महम खसरा नं0 584 में दर्ज मालकान हिस्सेदार दिनेश गुप्ता पुत्र श्री सत्यदेव गुप्ता निवासी महम, श्रीमती अंगुरी पत्नी सुरजभान निवासी गाँव सीमान मार्फत पति सुरजभान, श्रीमती सावित्री पत्नी राजेश कुमार निवासी गॉव भैणी चन्द्रपाल मार्फत पति राजेश कुमार तथा उपायुक्त कार्यालय रोहतक की शाखा से सदर पटवारी श्री कृष्ण कुमार मय रिकार्ड हाजिर आये। हाजिर व्यक्तियों के कमानुसार ब्यान हलफिया निम्न हैः—

सशपथ वादी राकेश भारद्वाज ने अपने ब्यान में लिखा है कि उसके द्वारा NGT में जो ब्यान दिए गये है वही मेरे ब्यान समझे जाये।

सशपथ राजस्व रिकार्ड खसरा नं0 584 में दर्ज हिस्सेदार मालकान श्री दिनेश गुप्ता निवासी महम ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि मेरे व मेरे परिवार की दादा लाही नाम है। इस जमीन के कुछ हिस्से में पहले खेती भी की है। कुछ हमारे परिवार के हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा सावित्री पत्नी राजेश व अंगुरी पत्नी सुरजभान आदि को बेच भी दिया है और बची हुई भूमि जो हमारे नाम पर है। उस पर हमारा पूर्णतया कब्जा है। इस जमीन में कभी भी तालाब नहीं रहा। सडक ऊँची होने के

कारण बरसात में पानी जरूर इक्टठा हो जाता है। कुछ लोगो ने सडक के साथ समरसीबल लगाकर नाजायज तरीके से हमारी जमीन में पानी भरने की कोशिश की है और कभी कभी कमेटी के नालों का पानी भी आ जाता है। हमने कमेटी को भी लिखा है कि उस पानी को रोका जाए।

सशपथ श्रीमती अंगुरी पत्नी सुरजभान गॉव सीमान मार्फत पति सुरजभान ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 5 मरले जमीन मेरी पत्नी अंगुरी के नाम वर्ष 2011 में खरीदी थी। मैं पहले से ही इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहा था। अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ने के कारण रिहायशी क्षेत्र में आ गई है। दिनांक 09.05.2023 को रिहायशी प्लॉट की मु0 23432/—रू0 की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ सलंग्न है) नगरपालिका का शुल्क भरने के पश्चात् हमने उक्त जमीन में मिटटी डालकर भरत कर लिया है। नगरपालिका महम ने इसके साथ सीवर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

सशपथ श्रीमती सावित्री पत्नी राजेश कुमार गॉव भैणी चन्द्रपाल मार्फत पति राजेश कुमार ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 17 मरले मेरी पत्नी सावित्री के नाम खरीदी हुई है। मैं पहले से इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहा था। अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र ब्रढने के कारण रिहायशी क्षेत्र में आ गया है। दिनांक 09.05.2023 को रिहायशी प्लॉट की मु0 31523/—रू0 की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ सलग्न है) नगरपालिका का शुल्क भरने के पश्चात् हमने उक्त भूमि में मिट्टी डालकर भरत कर लिया है। नगरपालिका महम ने इसके साथ सीवर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

सशपथ श्री कृष्ण कुमार सदर पटवारी रिकार्ड रूम शाखा उपायुक्त कार्यालय रोहतक ने ब्यान किया कि मुतनाजा भूमि खसरा नं0 522 व 584 बारे राजस्व रिकार्ड स्कीम इस्तेमाल मौजा महम में कोई इन्द्राज दर्ज नही है।

उक्त केस से सम्बन्धित मुतनाजा खसरा नं0 584 मौजा महम की मौका निरीक्षण रिपोर्ट हल्का पटवारी/कानूनगों से ली गई। उनकी रिपोर्ट अनुसार खसरा न० 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले में से पूर्व दिशा में 1 कनाल 9 मरले खाली भूमि है व पश्चिम दिशा में 1 कनाल 1 मरला में पक्की ईटों का रास्ता बना हुआ है तथा मध्य में 10 कनाल 0 मरला भूमि का एरिया सडक से गहरा होने के कारण पानी भरा हुआ है। खसरा न० 584/3 रकबा 0—19 जो निजि मालकान की भूमि है, जो कि खाली है। खसरा नं० 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन पक्की सडक बनी हुई है।

जिसकी मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार हरियाणा सरकार व गिरदावरी मकबूजा महकमा P.W.D B&R के नाम दर्ज है।

उक्त जांच के सन्दर्भ में तहसीलदार महम व हल्का पटवारी/कानूनगों को मय राजस्व रिकार्ड कार्यालय में तलब किया गया तथा राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त राजस्व रिकार्ड मौजा महम जमाबन्दी वर्ष 1909 खसरानं0 926 मिन/3978 मिन साबका व हाल खसरा नं0 2124 कुल रकबा 5 बिघे–9 बिस्वे जिसमें से बंजर कदीम 1 बिघे–10 बिस्वे गैर मुमकिन कब्रस्तिान 2 बिघे–3 बिश्वे गैर मुमकिन, जोडी 1 बिघे–16 बिस्वे व खसरा नं0 602/2472 साबका व हाल खसरा नं0 1094 कुल रकबा 2 बिघे–1 बिस्वे गैर मुमकिन कब्रस्तिान किते 2 बकदर रकबा 7 बिघे–10 बिस्वे दर्ज है। इसके बाद जमाबन्दी वर्ष 1952–53 में खसरा नं0 1094 रकबा 2 बिघे–1 बिस्वे गैर मुमकिन कबस्तिान व खसरा नं0 2124 कुल रकबा 5 बिघे–9 बिस्वे जिसमें से 1 बिघे–10 बिस्वे बंजर कदीम 3 बिघे–19 बिश्वे गैर मुमकिन कब्रस्तिान किते 2 बकदर रकबा 7 बिघे–10 बिस्वे दर्ज है। इसके पश्चात मिसल हकियत मौजा महम वर्ष 1976–77 पिछला बन्दोबस्ती खसरा नं0 1094, 2124 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं0 522 कुल रकबा 21 कनाल 6 मरले जिसमें से गैर मुमकिनं कब्रस्तिान 13 कनाल 13 मरले गैर मुमकिन जोहडी 7 कनाल 13 मरले तथा पिछला बन्दोबस्ती खसरा नं0 2124 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं0 584 कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले गैर मुमकिन कब्रस्तिान किते 2 रकबा 37 कनाल 14 मरले दर्ज है। खसरा गिरदावरी रजिस्टर वर्ष फसल खरीफ 1976 ता फसल रबी वर्ष 1980 खसरा नं0 584 रकबा 16 कनाल 8 मरले का कुछ रकबा किस्म काश्ता व कुछ रकबा खाली दर्शाया गया है (जिसकी खसरा गिरदावरी साथ लफ है) जिसके कारण जमाबन्दी वर्ष 1979–80 खसरा नं0 584 का रकबा 16 कनाल 8 मरले बारानी दर्ज है। जो कि यही इन्द्राज जमाबन्दी साल 1989–90 तक चला आ रहा है। इसके बाद जमाबन्दी 1994–95 में खसरा नं0 584 कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले दर्ज है। जिसमें से 16 कनाल बरानी 0 कनाल 8 मरले गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इसके पश्चात जमाबन्दी वर्ष 1999–2000 खसरा नं0 584/1 कुल रकबा 12 कनाल 10 मरले बारानी व खसरा नं0 584/3 रकबा 19 मरले गैर मुमकिन दर्ज है जो कि यही इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2019–20 तक चला आ रहा है। रिकार्ड खसरा गिरदावरी अनुसार खसरा नं0 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही हैं व खसरा नं० 584/3 रकबा 0 कनाल 19 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही है तथा खसरा नं0 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही हैं। (नकल खसरा गिरदावरी साथ लफ है)

राजस्व रिकार्ड व हाजिर व्यक्तियों द्वारा दिए गये ब्यान तथा हल्का पटवारी/कानूनगों रिपोर्ट को मध्य नजर रखते हुऐ उक्त केस की जाँच पडताल करने उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खसरा नं0 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले बारानी व खसरा नं0 584/3 रकबा 0 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन भूमि राजस्व रिकार्ड मौजा महम में दिनेश पुत्र सत्यदेव आदि की मलकियत दर्ज है व उक्त खसरा नं0 की गिरदावरी महादेव पुत्र सालग मकबूजा व काश्त हिस्सेदार दर्ज है तथा खसरा नं0 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले गैरमुमकिन सडक जिसकी मलकियत हरियाणा सरकार व गिरदावरी मकबूजा महकमा P.W.D B&R के नाम दर्ज है। खसरा नं0 584 रकबा 16 कनाल 8 मरले में मुताबिक खसरा गिरदावरी फसल खरीफ 1976 ता फसल रबी वर्ष 1980 तक रकबा काश्ता भूमि होने के कारण जमाबन्दी साल 1979–80 में गैर मुमकिन की बजाय बरानी दर्ज किया गया था. जो कि अब गिरदावरी फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 हाल तक किस्म गैर मुमकिन रकबा का इन्द्राज दर्ज है। खसरा नम्बरान 584/1, 584/3 की मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्ष 1909 ता हाल निजी मालकान के नाम दर्ज चली आ रही है और यह भूमि Common Purpose Land नहीं है।

जांच अधिकारी/उपमण्डल अधिकारी (ना0), महम द्वारा की गई जांच पडताल से सहमति प्रकट करते हुए, रिपोर्ट आपकी सेवा में भेजकर अनुरोध है कि वर्णित केस को दफ्तर दाखिल करने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

कृतेः उपायुक्त रोहतक।

पृ0कमांक /एस0के0 दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपमण्डल अधिकारी (ना0), महम को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 802/स्टैनो दिनांक 18.10.2024 के सन्दर्भ में भेजकर अनुरोध है कि उपायुक्त, रोहतक की तरफ से माननीय National Green Tribunal, New Dehli के समक्ष रिकार्ड सहित दिनांक 23.10.2024 को उपस्थित होकर वर्णित केस बारे अवगत करवाने का कष्ट करें।

2. Haryana State Pollution Control Board, Regional Office, Rohtak को उनके कार्यालय के पत्र कमांक HSPCB/ROH/2024/387-389 दिनांक 05–09–2024 के सन्दर्भ में।

3. सचिव, नगरपालिका महम।

-sd-

कृतेः उपायुक्त रोहतक।

DRO
18.10.24

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
महम।

सेवा में

उपायुक्त महोदय,
रोहतक।

कमांक 802 /स्टैनो दिनांक :- 18/10/2024

विषयः– **Complliance of NGT order dated 03-09-2024 regarding in OA No. 666/2023 titled as Rakesh Bhardwaj Vs state of Haryana.**

यादि

आपके कार्यालय के पत्र कमांक 2491/एस0के0 दिनांक 09.09.2024 के सन्दर्भ मे।

विषयाधीन मामले में उक्त जॉच के सन्दर्भ में आपके आदेशों की पालना में साथ सलंग्न हरियाणा राज्य प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक के पत्र कमांक **HSPCB/ROH/2024/387-389** दिनांक 05.09.2024 द्वारा अघोहस्ताक्षरी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त विषयवर्णित जॉच के सन्दर्भ में वादी व राजस्व रिकार्ड मौजा महम मुतनाजा भूमि के मालकान और उपायुक्त कार्यालय की सदर शाखा में तैनात कर्मचारी को मय रिकार्ड दिनांक 11.10.2024 को जारी नोटिस द्वारा दिनांक 15.10.2024 को अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर होने बारे लिखा गया था। जिसमें वादी राकेश भारद्वाज निवासी महम व राजस्व रिकार्ड मौजा महम खसरा नं0 584 मे दर्ज मालकान हिस्सेदार दिनेश गुप्ता पुत्र श्री सत्यदेव गुप्ता निवासी महम , श्रीमती अंगुरी पत्नी सुरजभान निवासी गॉव सीमान मार्फत पति सुरजभान, श्रीमती सावित्री पत्नी राजेश कुमार निवासी गॉव भैणी चन्द्रपाल मार्फत पति राजेश कुमार तथा उपायुक्त कार्यालय रोहतक की शाखा से सदर पटवारी श्री कृष्ण कुमार मय रिकार्ड हाजिर आये। हाजिर व्यक्तियों के कमानुसार ब्यान हलफिया निम्न है:–

सशपथ वादी राकेश भारद्वाज ने अपने ब्यान में लिखा है कि उसके द्वारा NGT में जो ब्यान दिऐ गये है वही मेरे ब्यान समझे जाये।

सशपथ राजस्व रिकार्ड खसरा नं0 584 में दर्ज हिस्सेदार मालकान श्री दिनेश गुप्ता निवासी महम ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि मेरे व मेरे परिवार की दादा लाही नाम है। इस जमीन के कुछ हिस्से में पहले खेती भी की है। कुछ हमारे परिवार के हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा सावित्री पत्नी राजेश व अंगुरी पत्नी सुरजभान आदि को बेच भी दिया है और बची हुई भूमि जो हमारे नाम पर है। उस पर हमारा पूर्णतया कब्जा है। इस जमीन में कभी भी तालाब नही रहा। सडक ऊँची होने के कारण बरसात में पानी जरूर इक्टठा हो जाता है। कुछ लोगो नें सडक के साथ समरसीबल लगाकर नाजायज तरिके से हमारी जमीन में पानी भरने की कौशिश

Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

की है और कभी–कभी कमेटी के नालों का पानी भी आ जाता है। हमने कमेटी को भी लिखा है कि उस पानी को रोका जाऐ।

सशपथ श्रीमती अंगुरी पत्नी सुरजभान गॉव सीमान मार्फत पति सुरजभान ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 5 मरले जमीन मेरी पत्नी अॅगुरी के नाम वर्ष 2011 में खरीदी थी। मै पहले से ही इस भूमि पर कई वर्षो से खेती कर रहा था।अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढने के कारण रिहायसी क्षेत्र में आ गई है। दिनांक 09.05.2023 को रिहायसी प्लॉट की मु0 23432/– रू0 की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ सलंग्न है) नगरपालिका का शुल्क भरने के पश्चात हमने उक्त जमीन में मिटटी डालकर भरत कर लिया है।नगरपालिका महम ने इसके साथ शिविर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

सशपथ श्रीमती सावित्री पत्नी राजेश कुमार गॉव भेणी चन्द्रपाल मार्फत पति राजेश कुमार ने अपने ब्यान में लिखा है कि मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 17 मरले मेरी पत्नी सावित्री के नाम खरीदी हुई है।मैं पहले से इस भूमि पर कई वर्षो से खेती कर रहा था।अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढने के कारण रिहायसी क्षेत्र में आ गया है। दिनांक 09.05.2023 को रिहायसी प्लॉट की मु0 31523/–रू0 की फीस जमा करादी गई है।(रसीद की प्रति साथ सलग्न है) नगरपालिका का शुल्क भरने के पश्चात हमने उक्त भूमि में मिटटी डालकर भरत कर लिया है।नगरपालिका महम ने इसके साथ शिविर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

सशपथ श्री कृष्ण कुमार सदर पटवारी रिकार्ड रूम शाखा उपायुक्त कार्यालय रोहतक ने ब्यान किया कि मुतनाजा भूमि खसरा नं0 522 व 584 बारे राजस्व रिकार्ड स्कीम इस्तेमाल मौजा महम में कोई इन्द्राज दर्ज नही है।

उक्त केस से सम्बन्धित मुतनाजा खसरा नं0 584 मौजा महम की मौका निरीक्षण रिपोर्ट हल्का पटवारी /कानूनगों से ली गई। उनकी रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले में से पूर्व दिशा में 1 कनाल 9 मरले खाली भूमि है व पशचिम दिशा में 1 कनाल 1 मरला में पक्की ईटों का रास्ता बना हुआ है तथा मध्य में 10 कनाल 0 मरला भूमि का एरिया सडक से गहरा होने के कारण पानी भरा हुआ है। खसरा नं0 584/3 रकबा 0–19 जो नीजि मालकान की भूमि है, जो कि खाली है। खसरा नं0 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन पक्की सडक बनी हुई है। जिसकी मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार हरियाणा सरकार व गिरदावरी मकबूजा महकमा **P.W.D B&R** के नाम दर्ज है।

उक्त जॉच के सन्दर्भ में तहसीलदार महम व हल्का पटवारी /कानूनगों को मय राजस्व रिकार्ड कार्यालय में तलब किया गया तथा राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त राजस्व रिकार्ड मौजा महम जमाबन्दी वर्ष 1909 खसरा

Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

नं0 926 मिन/3978 मिन साबका व हाल खसरा नं0 2124 कुल रकबा 5–9 जिसमें से बंजर कदीम 1–10 , गैर मुमकिन कब्रस्तिान 2–3 , गैर मुमकिन जोडी 1–16 व खसरा नं0 602/2472 साबका व हाल खसरा नं0 1094 कुल रकबा 2–1 गैर मुमकिन कब्रस्तिान किते 2 बकदर रकबा 7–10 दर्ज है। इसके बाद जमाबन्दी वर्ष 1952–53 में खसरा नं0 1094 रकबा 2–1 गैर मुमकिन कब्रस्तिान व खसरा नं0 2124 कुल रकबा 5–9 जिसमें से 1–10 बंजर कदीम , 3–19 गैर मुमकिन कब्रस्तिान किते 2 बकदर रकबा 7–10 दर्ज है। इसके पश्चात मिशल हैकियत मौजा महम वर्ष 1976–77 पिछला बन्दोबस्ती खसरा नं0 1094 , 2124 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं0 522 कुल रकबा 21 कनाल 6 मरले जिसमें से गैर मुमकिन कब्रस्तिान 13 कनाल 13 मरले , गैर मुमकिन जोडी 7 कनाल 13 मरले तथा पिछला बन्दोबस्ती खसरा नं0 2124 वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं0 584 कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले गैर मुमकिन कब्रस्तिान किते 2 रकबा 37 कनाल 14 मरले दर्ज है। खसरा गिरदावरी रजिस्टर वर्ष फसल खरीफ 1976 ता फसल रबी वर्ष 1980 खसरा नं0 584 रकबा 16 कनाल 8 मरले का कुछ रकबा किस्म काश्ता व कुछ रकबा खाली दर्शाया गया है (जिसकी खसरा गिरदावरी साथ लफ है) जिसके कारण जमाबन्दी वर्ष 1979–80 खसरा नं0 584 का रकबा 16 कनाल 8 मरले बारानी दर्ज है। जो कि यही इन्द्राज जमाबन्दी साल 1989–90 तक चला आ रहा है। इसके बाद जमाबन्दी 1994–95 में खसरा नं0 584 कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले दर्ज है। जिसमें से 16 कनाल बरानी , 0 कनाल 8 मरले गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इसके पश्चात जमाबन्दी वर्ष 1999–2000 खसरा नं0 584/1 कुल रकबा 12 कनाल 10 मरले बारानी व खसरा नं0 584/3 0 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन दर्ज है। जो कि यही इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2019–20 तक चला आ रहा है।रिकार्ड खसरा गिरदावरी अनुसार खसरा नं0 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही हैं व खसरा नं0 584/3 रकबा 0 कनाल 19 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही है तथा खसरा नं0 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले किस्म गैर मजरूआ गैर मुमकिन वर्ष फसल 2020 ता खरीफ 2024 तक चली आ रही हैं।(नकल खसरा गिरदावरी साथ लफ है)

राजस्व रिकार्ड व हाजिर व्यक्तियों द्वारा दिऐ गये ब्यान तथा हल्का पटवारी /कानूनगों रिपोर्ट को को मध्य नजर रखते हुऐ उक्त केस की जॉच पडताल करने उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि खसरा नं0 584/1 रकबा 12 कनाल 10 मरले बारानी व खसरा नं0 584/3 रकबा 0 कनाल 19 मरले गैर मुमकिन भूमि राजस्व रिकार्ड मौजा महम में दिनेश पुत्र सत्यदेव आदि की मलकियत दर्ज है व उक्त खसरा नं0 की गिरदावरी महादेव पुत्र सालग मकबूजा व काश्त हिस्सेदार दर्ज है तथा खसरा नं0 584/2 रकबा 2 कनाल 19 मरले गैरमुमकिन सडक जिसकी मलकियत हरियाणा सरकार व गिरदावरी मकबूजा महकमा **P.W.D B&R** के नाम दर्ज है।खसरा नं0 584 रकबा

Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

16 कनाल 8 मरले में मुताबिक खसरा गिरदावरी फसल खरीफ 1976 ता फसल रबी वर्ष 1980 तक रकबा काश्ता भूमि होने के कारण जमाबन्दी साल 1979–80 में गैर मुमकिन की बजाय बरानी दर्ज किया गया था,जो कि अब गिरदावरी फसल खरीफ 2020 ता खरीफ 2024 हाल तक किस्म गैर मुमकिन रकबा का इन्द्राज दर्ज है। खसरा नम्बरान 584/1, 584/3 की मलकियत राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्ष 1909 ता हाल निजी मालकान के नाम दर्ज चली आ रही है और यह भूमि **Common Purpose Land** नही है। अतः जॉच–पडताल उपरान्त रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
महम।

DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा

PAYMENT RECEIPT-NDC
MEHAM

roperty id	: 7H9DJBB3	Plot Size	: 3175.070 (SqYard)
ame of the Owner	: Anguri Devi	Property Type	: Residential
ame of the Colony	: saman chowk bypass colony	Sub Category	: Residential
lobile No.	: 9466310556		

Dues Details

DUES	AMOUNT
Property Tax Dues	23432.20
Fire Tax Dues	0.00
Water Sewerage Usage Charges	0.00
Development Charges	0.00
Garbage collection Charges	0.00
MC Charges	0.00
Total Due's	23432.20

Payment Details

Demand No	L1569395
Payment Date	09/May/2023
Amount Paid	23432.20
Payment Mode	Cash
Created By	THIRTH RAM
Property Tax/Fire Tax G8 No	G16041230001475 View/Print G8 Receipt
Development G8 No	
Garbage collection G8 No	
Water Sewerage G8 No	
MC Charges G8 No	

SurajBhan 15/10/2024

DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा

PAYMENT RECEIPT-NDC
MEHAM

…erty Id	: 7HFGAF39
…e of the Owner	: Savatri DEVI
…e of the Colony	: saman chowk bypass colony
…bile No.	: 9812000242
Plot Size	: 3540.200 (SqYard)
Property Type	: Residential
Sub Category	: Residential

Dues Details

…ES	AMOUNT
…operty Tax Dues	31523.43
…re Tax Dues	0.00
…ater Sewerage Usage Charges	0.00
…evelopment Charges	0.00
…arbage collection Charges	0.00
…IC Charges	0.00
…otal Due's	31523.43

Payment Details

…emand No	L1569458
…ayment Date	09/May/2023
Amount Paid	31523.43
Payment Mode	Cash
Created By	THIRTH RAM
Property Tax/Fire Tax G8 No	G16041230001476 View/Print G8 Receipt
Development G8 No	
Garbage collection G8 No	
Water Sewerage G8 No	
MC Charges G8 No	

15/10-2024

નમૂનો (ખસરા) ... સાલ 1978 થી 1980

					27/10/76	1/77		27/10/78	1/78		9/79	9/79		29/10/79			
582	અનુસાર ખાતાની પૈનાઇશી વરાઇદ નં. 578	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશ વરાઇદ નં. 578	56-14	[illegible]	56-14	56-14	X	56-14	56-14	X	56-14	56-14	X	56-14	56-14	X	
583	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશી વરાઇદ નં. 578	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશ વરાઇદ 578	54-19 (161-19)	[illegible]	161-19	161-19	X	161-19	161-19	X	161-19	161-19	X	161-19	161-19	X	
584	[illegible] વરાઇદ [illegible] 10/2	[illegible]	16-8	[illegible]	16-8	16-8	X	6-8 10-0	16-8	X	10-0 6-8	6-8	X	16-8	16-8	X	
585	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશી [illegible]	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશી [illegible]	43-14	[illegible]	43-14	43-14	X	43-14	43-14	X	43-14	43-14	X	43-14	43-14	X	
586	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશી [illegible]	અનુસાર ખાતાની પૈમાઇશી [illegible]	4-9	[illegible]	4-9	4-9	X	4-9	4-9	X	4-9	4-9	X	4-9	4-9	X	
			452-9		452-9	436-1 16-8 452-9		436-1 16-8 452-9		16-8 436-1 452-9	10-0 6-8 436-1 452-9	436-1 452-9		436-1 16-8 452-9	436-1 11-8 452-9		

Attested by

16/10/2024

P&K-11/100

खसरा गिरदावरी

खसरा संख्या	स्वामी (संक्षेप में जमाबंदी संख्या के साथ लिखा हुआ)	कृषक तथा लगान (संक्षेप में खतौनी के साथ लिखा हुआ)	क्षेत्र	पिछली जमाबंदी के अनुसार भूमि का वर्गीकरण	वर्ष 2020-21 सावनी फसल	वर्ष 2020-21 हाड़ी फसल	वर्ष 2020-21 अधिकार कब्जा तथा लगान की तबदीलियां	वर्ष 2021-22 सावनी फसल	वर्ष 2021-22 हाड़ी फसल	वर्ष 2021-22 अधिकार कब्जा तथा लगान की तबदीलियां	सावनी फसल	हाड़ी फसल	अधिकार कब्जा तथा लगान की तबदीलियां	सावनी फसल	हाड़ी फसल	तथा लगान की तबदीलियां	सावनी फसल	हाड़ी फसल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
584/1	दिनेश पुत्र बलदेव अंश [illegible] खेवट न 1065	[illegible] व [illegible] बलदेव पुत्र [illegible] हिस्सेदार खतौनी न 1118	12-10	बारानी	गै.मु. 12-10	गै.मु. 12-10	X	गै.मु. 12-10	गै.मु. 12-10	X	गै.मु. 12-10	गै.मु. 12-10	X	गै.मु. 12-10	गै.मु. 12-10	X	गै.मु. 12-10	—	
584/3	उपरोक्त	उपरोक्त	0-19	गै.मु.	गै.मु. 0-19	गै.मु. 0-19	X	गै.मु. 0-19	गै.मु. 0-19	X	गै.मु. 0-19	गै.मु. 0-19	X	गै.मु. 0-19	गै.मु. 0-19	X	गै.मु. 0-19	—	

Attested by
[signature] पंचायत
16/10/2024

मैं राकेश भारद्वाज अपने हलफ से बयान करता हूँ कि -

मैं दिनांक 15/10/2024 को हाजिर हुआ मेरे बयान जो NGT में दिए गए है वही मेरे बयान समझे जाए।

Ramesh
15/10/24

15/10/24

बयान

मैं दिनेश गुप्ता पुत्र स्व० सत्यदेव गुप्ता वासी महम अपने हल्फ से बयान करता हूँ कि:-

~~अब तक~~ जो मुतनाजा भूमि मेरे व मेरे परिवार के दादालाही नाम है। उस जमीन के कुछ हिस्से में पहले खेती भी की है। कुछ हमारे परिवार के हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा ~~स~~ सावित्री पत्नी राजेश व अंगूरी पत्नी सूरजभान आदि को बेच भी दिया है। और बाकी बची हुई जमीन जो हमारे नाम पर है उस पर हमारा पूर्णतया कब्जा है। यह जमीन कभी भी तलाब नहीं रहा। सड़क ऊँची होने के कारण बरसात में पानी जरूर इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोगों ने सड़क के साथ सार्मिशबल लगाकर नाजायज तरीके से हमारी जमीन में पानी भरने की कोशिश की है और कभी-कभी कमेटी के नालों का पानी भी आ जाता है। हमने कमेटी को भी लिखा है कि उस पानी को रोका जाए।

RO & AC

Dinpla
15.10.24

15/10/24
Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

बयान

मैं सुरजभान पुत्र सुल्तान सिंह निवासी सीमाणा अपने हलफ से बयान करता हूँ कि :-

मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 5 मरले जमीन मेरी पत्नी अंगूरी के नाम 2011 में खरीदी थी। मैं पहले से इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहा था। अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ने के कारण रिहायसी क्षेत्र में आ गया है। दिनांक 09/05/2023 को रिहायसी प्लाट की 23,432 रुपये की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ संलग्न है।) नगरपालिका का शामिल करने के पश्चात हमने उक्त जमीन में मिट्टी डालकर भरत कर लिया है। नगरपालिका महम ने इसके साथ सीवर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

RO&AC

Suraj Bhan
15/10/2024

Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

बयान

मैं राजेश कुमार पुत्र श्री सुरज सिंह निवासी मैणी चन्द्रपाल अपने हलफ से बयान करता हूँ कि:-

मुतनाजा भूमि से 5 कनाल 17 मरले मेरी पत्नी सावित्री के नाम खरीदी हुई है। मैं पहले से इस भूमि पर कई वर्षों से खेती कर रहा था। अब यह जमीन नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ने के कारण रिहायसी क्षेत्र में आ गया है। दिनांक 09/05/2023 को रिहायसी प्लाट की 31,523 रुपये की फीस जमा करा दी गई है। (रसीद की प्रति साथ संलग्न है।) नगरपालिका का मुतलक भरने के पश्चात हमने उक्त जमीन में मिट्टी डालकर भरत कर लिया है। नगरपालिका महम ने इसके साथ सीवर लाईन व पक्का रास्ता भी बना दिया है। इस जमीन पर मेरा पूर्णतया कब्जा है।

ROQ AC

15-10-2024

Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)

बयान

मैं कृष्णा पटवारी, सदर कानूनगो शाखा रोहतक अपने हलफ से बयान करता हूँ कि :-

मैं दिनांक 15/10/2024 को मुतनाजा भूमि का सम्बन्धित रिकार्ड लेकर हाजिर हुआ। मुतनाजा भूमि खसरा नं० 522, 584 का स्कीम इस्तेमाल मौजा महम में कोई इन्दराज दर्ज नहीं है। RO & AC

Krishan [signature]
15/10/24

[signature]
Sub-Divisional Officer (C)
Meham (Rohtak)
15/10/24